

खण्ड अधि

व सन्

हुक्मनामा

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रकरण संख्या पत्थर गढी 44/2022

दिनांक 23.05.22

सलामुद्दीन पुत्र बन्दुखां जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा
तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० -प्रार्थी

बनाम

रामलाल पिता राधाकिशनजी जाति कीर आयु वयस्क निवासी साकरिया तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० -विपक्षी

कार्यवाही धारा 128 रा०ले०रे० एक्ट

प्रेषिती— तहसीलदार निम्बाहेडा

1. जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजी वाकै मौजा साकरिया प०ह० रानीखेडा तह० निम्बाहेडा की खाता नं० 318 की आराजी नं० 176 रकबा 0.9400 हेक्टेयर, आराजी नं० 810/178 रकबा 0.2500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 हेक्टेयर स्थित है। इस आशय की पत्थरगढी पेश की साथ मे नकल जमाबंदी व नक्षा ट्रेस पेश की पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुवे आपको जरिये हुक्मनामा आदेशीत किया जाता है कि आप उभयपक्ष को सुचित कर मौके पर पहुंचकर बिना किसी के कब्जे मे दखलअंदाजी किये आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फिस पत्थरगढी रुपये 5000 प्रार्थी से वसुल कर राजकोष मे जमा करायें पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 13.6.22 को पेश करें।

अतः यह हुक्मनामा आज दिनांक 23.05.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय के जारी किया।



उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)